भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4872

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

4872. श्री गजानन कीर्तिकर :

श्री धनुष एम. कुमार :

श्रीमती मंजुलता मंडल :

श्री सी. एन. अन्नादुरई :

श्री जी. सेल्वम :

श्री गौतम सिगामणि पोन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, और यदि हां, तो इस अवसर पर सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/घटनाओं तथा कार्यक्रम के विषय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने अधिकतम पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में से प्रत्येक के दौरान मतदाता सूची में नामांकित पात्र युवाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) मतदाता सूची में पात्र युवाओं का नामांकन करते समय सरकार के सामने क्या-क्या चुनौतियां आती हैं ; और

(ङ) क्या देश की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क), (ख) और (घ) : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने कथित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करता है । सुसंगत सूचना **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर संलग्न है ।

(ग) : पिछले तीन वर्षों (अर्थात् एसएसआर 2020, 2021 और 2022) की निर्वाचन नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्रविष्ट किए गए 18-19 वर्ष आयु समुह के मतदाताओं के ब्यौरे जो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, **उपाबंध-3** पर संलग्न है ।

(ङ) : भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन नामावली 2022 अंतिम रूप से प्रकाशित की गई थी (01.01.2022 के संदर्भ में अर्हता की तारीख), भारत में मतदाताओं की कुल संख्या 95,24,81,459 (**उपाबंध-4**) पर है । जिसमें से पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 49,18,60,931 (51.64 प्रतिशत) हैं और महिला मतदाताओं की कुल संख्या 46,05,74,630 (48.35 प्रतिशत) हैं । इसके अतिरिक्त दर्शाई गई जनसंख्या 2022 के अनुसार (राज्यों से प्राप्त किए गए आकडें के अनुसार), पुरुष और महिला जनसंख्या का प्रतिशत लगभग क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है, जो यह इंगित करता है कि निर्वाचन नामावली में महिला मतदाताओं का नामांकन जनसंख्या लिंगानुपात के अनुसार है । निर्वाचन नामावली में लिंगानुपात उल्लिखित किया गया है और उसी अनुपात में है जिसमें उनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी है । निर्वाचन नामावली में महिलाओं के कम नामांकन का प्रश्न ही नहीं है और इसलिए किसी सुधार के लिए कदम उठाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है ।

****

उपाबंध-1

टिप्पणी

राष्ट्रीय मतदाता दिवस" (एनवीडी) 2011 से हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1950 में आयोग के स्थापना दिवस को भी चिह्नित करता है। अपने बारहवें वर्ष में, एनवीडी 2022 का विषय था, **"चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना"।** इसने चुनाव के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और एक यादगार अनुभव बनाने के लिए ईसीआई की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया। मतदाताओं को सुग्राही बनाने के लिए सुलभ और समावेशी चुनावों के लिए रणनीतिक ढांचे की योजना बनाई गई है। इसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की मदद ली जाएगी, समाज के विभिन्न वर्गों की सामुदायिक भागीदारी की जाएगी, संस्थानों के साथ प्रभावी भागीदारी की जाएगी और दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) की सार्वजनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ायी जा सके।

"चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना" विषय पर चर्चा करते हुए कोविड उपयुक्त व्यवहार और दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बूथ स्तर तक एनवीडी के उत्सव के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओएस) के साथ अनुदेश साझा किए गए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं: (विस्तृत निर्देश **उपाबंध-क** में देखे जा सकते हैं)।

इसी तरह, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को राज्य सरकार के कार्यालयों में एनवीडी शपथ दिलाने के संबंध में निर्देशित किया गया था।

इसके अलावा, एनवीडी की पूर्व संध्या पर मुख्य चुनाव आयुक्त के संदेश की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजी जाती है। इसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से बीएलओ स्तर तक एनवीडी समारोह के लिए उपयुक्त रूप से प्रसारित किया गया था।

एनवीडी के दिन अर्थात 25 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रकाशन **'लीप ऑफ फेथ: जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन'** लॉन्च किया। इस पुस्तक में भारत के चुनावी इतिहास और भारत में प्रतिनिधि और चुनावी सिद्धांतों के विकास का वर्णन है जैसा कि इसका विकास उन्नीसवीं से इक्कीसवीं शताब्दी तक हुआ है।

एक अन्य प्रकाशन **"प्लेजिंग टू वोट- ए डिकेडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स"** डे इन इंडिया" भी जारी की गई। यह पुस्तक हीरक जयंती समारोह से लेकर ईसीआई द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की यात्रा को प्रस्तुत करती है।

उसी दिन एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता- 'मेरा वोट मेरा भविष्य है- एक वोट की शक्ति' भी शुरू की गई थी । यहां उद्देश्य रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हर वोट के महत्व को दोहराना था।

वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव, मतदाता जागरूकता और मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने के संबंध में उनके योगदान हेतु उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दिए गए। सरकारी विभागों, ईसीआई आइकन और मीडिया समूहों जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों को मतदाता जागरूकता के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए। समारोह के दौरान, नव नामांकित मतदाताओं को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया और उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) सौंपा गया।

उपाबंध-क

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सं. 491/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसी/स्वीप-1/एनवीडी/2021 दिनांक: 11 जनवरी, 2022

सेवा में,

सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचक अधिकारी

विषय:- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) 2022 के संबंध में।

महोदय/महोदया

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में 25 जनवरी, 2022 को राज्य, जिला और बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। 12वें एनवीडी की विषय-वस्तु है 'चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर व्यापक प्रचार के साथ एनवीडी समारोह का संचालन करें। **एनवीडी समारोह कोविड दिशा-निर्देशों और इससे संबंधित उचित व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मनाया जाना चाहिए। इस समारोह को ऑनलाइन मनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।**

राज्य में पहले की तरह एनवीडी समारोह में सीईओ और डीईओ स्तर पर पहले से मौजूद योजना के अलावा निम्नलिखित घटक शामिल होंगे।

<u>व्यापक संचार योजना:</u>

• उपरोक्त विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आवश्यक प्रिंट, टीवी, रेडियो विज्ञापन, सोशल मीडिया अभियान, फील्ड कार्यक्रम और पारस्परिक संचार (कोविड मानदंडों के अनुसार), वेबिनार/सेमिनार आदि के माध्यम से एक व्यापक संचार योजना विकसित की जाएगी।

• विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से एनवीडी विषय का प्रचार।

• एनवीडी थीम और संबंधित संदेशों को पोस्टर और बैनर के रूप में सीईओ, डीईओ, ईआरओ और वीएफसीएस के कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

• इस विषय पर प्रकाश डालते हुए 25 जनवरी को एक प्रिंट विज्ञापन निकाला जाएगा।

<u>राज्य/जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ जुड़ाव:</u>

• चुनाव को समावेशी, सुलभ तथा सहभागी बनाने के लिए आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जागरूकता बढाने के लिए ओडियो-वीडियो संदेश की रिकॉर्डिंग के माध्यम से राज्य/जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है।

• सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चुनाव आइकन के रूप में जीवन के सभी क्षेत्रों से प्रेरक और गैर-पक्षपाती व्यक्तित्वों को नामित करने के उचित प्रयास करने चाहिए। दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर और हाशिए पर रह रहे अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

<u>भागीदारी और सहयोग:</u>

• सीईओ/डीईओ विभिन्न सरकारी विभागों जैसे बैंकों, डाकघरों, रेलवे, पंचायती राज संस्थानों, सिविल निकायों आदि के साथ भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

• रन अप टू एनवीडी में प्रतियोगिता (निबंध, वाद-विवाद आदि), वेबिनार आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कॉर्पोरेट निकायों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य को शामिल किया जा सकता है।

• साथ ही विभिन्न विभागों / संगठनों / निकायों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एनवीडी शपथ दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और इसे हैशटैग # एनवीडी2022 का उपयोग करके अपने सोशल मीडिया हैंडल/वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।

<u>सोशल मीडिया इंगेजमेंट एक्टिविटीज:</u>

- सीईओ / डीईओ कार्यालय एनवीडी के लिए रचनात्मक सामग्री बनाने और विकसित करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया एजेंसियों के साथ जुड़ सकते हैं और इसे अपने संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित कर सकते हैं।
- विभिन्न विभागों/संगठनों आदि द्वारा सभी गतिविधियों को उनके संबंधित सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया जाएगा।
- सोशल मीडिया अकाउंट पर सामग्री अपलोड करते हुए हैशटैग #एनवीडी2022 का प्रयोग किया जा सकता है।

1. **मुख्य गतिविधियां**: एनवीडी से संबंधित सभी स्वीप गतिविधियों को कोविड दिशा-निर्देशों/मानदंडों के अनुसार **ऑनलाइन तरीके** से संचालित किया जाना चाहिए।

(क) बूथ स्तर पर गतिविधियां:

i. बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में एक कार्यक्रम (ऑनलाइन मोड) आयोजित करेंगे और नए पंजीकृत मतदाताओं को उचित रूप से सम्मानित करेंगे तथा नए मतदाताओं को ईपीआईसी भी सौंपेंगे।

ii. व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य मीडिया के माध्यम से सभी घरों / प्रतिभागियों के साथ वीडियो और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को बड़े पैमाने पर साझा किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट, मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं, ईवीएम/वीवीपीएटी, वोटर हेल्पलाइन ऐप, एथिकल वोटिंग आदि पर राज्य या जिले द्वारा तैयार की गई अन्य जागरूकता फिल्मों / सामग्रियों को भी समारोह में स्थानीय भाषाओं में दिखाया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि

सभी हितधारकों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रचनात्मक गतिविधियों को एनवीडी की वर्तमान विषय-वस्तु के अनुरूप सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाना है।

iii. इसके अलावा ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों को एनवीडी शपथ दिलायी जाएगी। इसके अलावा शपथ की प्रति व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी प्रसारित की जाएगी।

iv डीईओ प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में संक्षिप्त समारोह के लिए आवश्यक रसद प्रदान करेगा।

ख) जिला मुख्यालय में गतिविधियां:

i. डीईओ विभिन्न संस्थानों/संगठनों जैसे पंचायत राज संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, सिविल सोसाइटी समूहों, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनवाईकेएस, मीडिया आदि जैसे युवा स्वयंसेवकों के संगठनों के सहयोग से जिला मुख्यालय में ऑनलाइन तरीके से एनवीडी समारोह का आयोजन करेगा।

ii. नव पंजीकृत मतदाताओं को एनवीडी समारोह के दौरान ईपीआईसी कार्ड सौंपकर सुविधा प्रदान की जाएगी।

iii. इसके अलावा ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों को एनवीडी शपथ दिलायी जाएगी। इसके अलावा शपथ की प्रति व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी प्रसारित की जाएगी।

iv. स्थानीय भाषा में पोस्टल बैलेट सुविधा, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं, ईवीएम वीवीपीएटी, मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं, ईवीएम/वीवीपीएटी, वोटर हेल्पलाइन ऐप, एथिकल वोटिंग आदि पर जागरूकता फिल्में दिखाई जाएंगी। सभी हितधारकों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एनवीडी के वर्तमान विषय के अनुरूप सुलभ प्रारूपों में रचनात्मक गतिविधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

v. इन सामग्रियों को विभिन्न हितधारकों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाना है।

(ग) राज्य मुख्यालय में गतिविधियां:

i. सीईओ मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्वयंसेवी समूहों, राज्य प्रशासन, राज्य चुनाव आयोग और कॉरपोरेट्स आदि के सहयोग से राज्य की राजधानी में एनवीडी समारोह का आयोजन करता है।

ii. पोस्टल बैलेट सुविधा, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं, ईवीएम वीवीपीएटी, मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं, ईवीएम/वीवीपीएटी, वोटर हेल्पलाइन ऐप, एथिकल वोटिंग आदि पर जागरूकता फिल्में स्थानीय भाषा में दिखाई जाएंगी और व्हाट्सएप ग्रुपों पर वितरित की जाएंगी।

iii. नए पंजीकृत मतदाताओं को एनवीडी समारोह के दौरान ईपीआईसी कार्ड सौंपकर उनका अभिनंदन किया जाएगा।

iv. इसके अलावा कार्यक्रम (कोविड मानदंडों के अनुसार ऑनलाइन/ऑफ़लाइन) के दौरान उपस्थित सभी लोगों को एनवीडी शपथ दिलाई जाएगी।

v. वर्तमान विषय के अनुसार समारोह के दौरान सांकेतिक भाषा दुभाषियों को तैनात किया जाएगा। जहां तक संभव हो एनवीडी समारोहों के स्थल को सुलभ बनाया जाए।

vi. राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग और बैनर के साथ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आवश्यक विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

vii. एनवीडी से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए ब्लॉक, उप-मंडल और जिला स्तर पर समर्पित कर्मचारियों की तैनाती निर्देशानुसार की जा सकती है। बीएलओ को एनवीडी गतिविधियों के लिए उनकी भूमिका के बारे में ईआरओ/एईआरओ द्वारा निर्देशानुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।

चूंकि इस वर्ष एनवीडी का विषय चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना है, इसलिए उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के कमजोर वर्गों को शामिल करके कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सीएसओ के माध्यम से पीडब्ल्यूडी ऐप को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा और पोस्टल बैलेट प्रावधान के बारे में जागरूकता सुनिश्चित की जाए। **चल रही महामारी को देखते हुए, सभी आयोजनों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।** यदि कोई ऑफ़लाइन कार्यक्रम करना हो तो उसे सुलभ स्थान पर किया जाना चाहिए तथा सभी हितधारकों तक पहुंच बनाने के लिए सांकेतिक भाषा के दुभाषियों को लगाया जाना चाहिए।

एनवीडी की तैयारी पर सीईओ/डीईओ के कार्यालय द्वारा बारीकी से निगरानी रखी जानी चाहिए। सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

भवदीय,

(अनुज चंदक)

संयुक्त निदेशक

उपाबंध-2

टिप्पणी

व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, जिसे स्वीप के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है, चुनावी भागीदारी के इस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तीन प्राथमिक उद्देश्य हैं, चुनावी भागीदारी बढ़ाना, नैतिक और सुविज्ञ मतदान को बढ़ावा देना और लगातार चुनावी शिक्षा। यह भारतीय निर्वाचन आयोग का निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुलभ, सहभागी और समावेशी हो। विस्तृत स्वीप (एसवीईईपी) कार्यक्रम **उपाबंध-ख** पर दिया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग की अग्रिम योजना के हिस्से के रूप में, चुनाव से बहुत पहले, एक आधारभूत ज्ञान दृष्टिकोण और व्यवहार (केएपी) सर्वेक्षण किया जाता है ताकि यदि कोई अंतराल हो तो उसकी पहचान और मूल्यांकन किया जा सके। यह राज्यवार, जिलेवार, निर्वाचन क्षेत्रवार और बूथवार स्वीप रणनीतियों के निर्माण में भी मदद करता है क्योंकि भारत में असंख्य सामाजिक आर्थिक, भौगोलिक और जातीय विविधताओं को देखते हुए इस मुद्दे पर कोई एक आकार फिट नहीं हो सकता है।

मतदाताओं का नामांकन और मतदाता सूची का शुद्धिकरण स्वीप कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। नागरिकों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम सत्यापित करने, विवरण में परिवर्तन करने, नए पंजीकरण और सुधार करने के लिए चुनाव से पहले विशेष अभियान शुरू किए जाते हैं। वीवीआईपी कार्यक्रम एक ऐसा विस्तृत कार्यक्रम था जिसे मतदाता सूची को सही करने और अद्यतन करने के लिए कई चैनलों के माध्यम से चलाया गया था। इसके अलावा, आयोग एक बटन के क्लिक पर आसान पंजीकरण और मतदाता सेवाओं तक पहुंच के लिए एनवीएसपी और मतदाता पोर्टल जैसी डिजिटल पहलों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। 1950-एकल, एकीकृत हेल्प लाइन को भी मजबूत किया गया और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए इसे स्वीप क्रिएटिव और विज्ञापनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया।

विशेष सारांश संशोधन 2022 के एक भाग के रूप में निम्नलिखित उपाय किए गए: सीईओ को दिए गए विस्तृत अनुदेश **उपाबंध-ग** पर हैं।।

1. प्रिंट विज्ञापन देश भर में सीईओ कार्यालयों और भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से भी जारी किए गए हैं।

2. देश भर में सीईओ/डीईओ कार्यालयों द्वारा विभिन्न मीडिया वाहनों के माध्यम से टीवी और रेडियो और 360° संचार पर एक विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक अभियान चलाया गया।

3. राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के वीडियो मैसेज तथा समर्पित सोशल मीडिया पोस्ट को डीजिटल मीडिया पर अपलोड किया गया तथा भारत निर्वाचन आयोग के विशाल नेटवर्क द्वारा इसका प्रचार किया गया।

स्वीप विभिन्न दृष्टिकोणों और लोगों के विविध समूहों की आवश्यकताओं की समझ के आधार पर अपने अभियान चलाता है। इसलिए, युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों, सेवा मतदाताओं, विदेशों में रह रहे मतदाताओं और कई अन्य लोगों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। युवाओं तथा भावी मतदाताओं के साथ जीवंत संवाद को बढ़ावा देने के लिए कैंपस एंबेसडर को नियुक्त किए जाते हैं। युवाओं के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग विश्वविद्यालयों, सीएसओ, एनएसएस, एनवाईकेएस के साथ साझेदारी करता है। नागरिक जिम्मेदारी की धारणा को युवाओं के मन में बैठाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की कहानियां के रूप में बच्चों की सामग्री का एक कोष तैयार किया है, कार्टून स्ट्रीप बनाई है तथा हाल ही में अमर चित्र कथा के सहयोग से "चलो करें मतदान" लांच किया है। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्वीप प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिनकी प्रेरक जीवन कहानियां मतदाताओं को उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ प्रेरित करती हैं, जैसे डॉ नीरूकुमार, मैरी कॉम लोगों के लिए अपने मैसेज रिकार्ड करते हैं, जिसे मतदान के लिए बाहर आने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया जाता है।

युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए निर्वाचक साक्षरता क्लब एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरे हैं। चुनावी प्रक्रिया के साथ छात्रों को परिचित करने के लिए, नैतिक और सुविज्ञ मतदान के विचारों को स्थापित करने और एक पूर्ण नागरिकता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक साक्षरता क्लब सहभागी गतिविधियों, खेलों, फिल्मों आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। अब तक देश में 7.40 लाख से अधिक निर्वाचक साक्षरता क्लब स्थापित किए जा चुके हैं।

भारत निर्वाचन आयोग कई पुस्तकों का प्रकाशन करता है जिसमें फील्ड से ली गई कहानियों, निर्वाचन अकाउंट तथा मतदान अधिकारियों के धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानियों, मतदाताओं के उत्तर, चित्र एवं तस्वीरों को शामिल किया जाता है जो देश भर के मतदाताओं के उत्साह के बारे में शब्दों से कहीं अधिक अभिव्यक्ति देता है। मेरा वोट मायने रखता है एक ऐसा प्रकाशन है जिसमें समकालीन रुचि के विभिन्न विषयों पर लेख और राज्यों की कहानियों को शामिल किया गया है।

स्वीप

स्वीप, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ-साथ निर्वाचनों के पूर्ववर्ती चरणों में निर्वाचकीय भागीदारी के इतिहास और उससे ली गई सीख के अनुसार डिजाइन किया गया हैं । स्वीप, सूचना, प्रेरणा और सुविधा (आईएमएफ) की तीन आयामी रणनीति पर काम करता है। ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार (केएपी) सर्वेक्षणों और मौजूदा डेटा के माध्यम से स्थिति विश्लेषण जैसे मुख्य हस्तक्षेप, लक्षित हस्तक्षेपों को तैयार करना, संचार और सुविधा से संबंधित, निगरानी और मूल्यांकन दोनों, हाल ही में और अतीत में की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं:

1. हाल हीमें प्रारंभ की गई पहल

(क) नए मतदाताओं को पत्र: आयोग ने वर्ष 2021 में नामांकन पर विशेष रूप से नामित ईपीआईसी किट प्रदान करके युवाओं से जुड़ने की पहल की है। आयोग ने सभी डीईओ को नए नामांकित मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड के साथ एक व्यक्तिगत पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इसमें एक वोटर गाइड और एक शपथ भी शामिल होगी। आयोग ने इस पत्र को वोटर गाइड के साथ डिजाइन किया है जिसमें वोटिंग प्रक्रिया, ईवीएम और वीवीपैट सूचना, कोविड प्रोटोकॉल और बीएलओ विवरण सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पूरा विवरण दिया गया है। इसमें युवा मतदाताओं से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए फीडबैक विकल्प भी शामिल है।

(ख) राष्ट्रीय मतदाता जागरुकता प्रतियोगिता - 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, भारत के निर्वाचन आयोग ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हर वोट के महत्व को दोहराने के लिए एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता - "मेरा वोट मेरा भविष्य- वोट की शक्ति" शुरू की। भारत के निर्वाचन आयोग के स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वचन सहभागिता) कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता लोगों की प्रतिभा और रचनात्मकता में टैप करती है, जबकि उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को भी मजबूत करती है। सभी आयु समूहों के लिए खुली, प्रतियोगिता का उद्देश्य लोकतंत्र में हर एक वोट के महत्व के विषय पर तैयार किए गए विचारों और सामग्री का उत्सव मनाना है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतियोगिता की पांच श्रेणियां हैं - स्लोगन लेखन, गीत रचना, वीडियो बनाना, पोस्टर डिजाइन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।

(ग) पॉकेट साइज- वोटर गाइड बुकलेट:- मतदान केंद्रों पर और दूसरों के बीच कोविड सुरक्षा उपायों के साथ मतदाता सूची में नाम खोजने, ईवीएम-वीवीपैट की जानकारी, हेल्पलाइन नंबर, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे निर्वाचन संबंधी प्रश्नों पर आसानी से

जानकारी के लिए मतदान वाले राज्यों में प्रत्येक परिवार को मतदाता मार्गदर्शिका का एक पॉकेट आकार संस्करण प्रदान किया जा रहा है।

(घ) इसके अतिरिक्त, स्वीप रणनीति के अधीन मतदान केंद्रों पर आयोग ने राज्यों को आदेश दिया है कि मतदान स्तर कार्य योजना को सुदृढ़ करने और स्वीप कार्यकलापों का न्यूनतम स्तर पर संचालन करने की जानकारी और सभी मतदाताओं को शिक्षित करने हेतु आदेश दिया है । इसमें विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ईवीएम-वीवीपैट, मतदाता पंजीकरण, नैतिक मतदान और आईटी ऐप के बारे में व्याख्यात्मक सूचना प्रदर्शित करना शामिल न्यूनतम स्तर की साज-सज्जा के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र को उत्सव का रूप देने के प्रयास किए जाएंगे। कम मतदान वाले मतदान केंद्रों की पहचान कम मतदान के कारणों के साथ की गई है, जिसका विश्लेषण किया गया है और लक्षित हस्तक्षेपों की योजना बनाई गई है ताकि 'कोई मतदाता पीछे न छूटे' के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

(ड.) स्वीप 4.0 रणनीति दस्तावेज – व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वचन सहभागिता (स्वीप) एक बहु-हस्तक्षेप कार्यक्रम है जो नागरिकों को उनकी जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए पहुँच बनाने के लिए है। 2024 में परिकल्पित राष्ट्रीय निर्वचनों के साथ, आयोग एक स्वीप राष्ट्रीय रणनीतिक संचार रोडमैप (स्वीप 4.0) दस्तावेज़ विकसित करने की प्रक्रिया में है। यह रणनीति दस्तावेज राज्यों को राज्य विशिष्ट स्वीप रणनीतियों और कार्य योजनाओं के अपने अगले चरण को विकसित करने के लिए भी मार्गदर्शन करेगा।

(च) राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 (एनवीडी) – एनवीडी जो भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित करता है, हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदान केंद्र क्षेत्रों, उपमंडलों, संभागों, जिला और राज्य मुख्यालयों सहित देश भर में दस लाख से अधिक स्थानों पर समारोह होते हैं। एनवीडी 2011 में शुरू किया गया था और तब से, एनवीडी को देश में लोकतंत्र और निर्वचन सहभागिता का जश्न मनाने के लिए वार्षिक सुविधाओं के रूप में संस्थागत रूप दिया गया है।

(छ) नई दिल्ली में समारोह राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2022 – सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस देशभर में भौतिक और वर्चुअल समारोह दोनों रुप में मनाया गया । नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित थे । राष्ट्रीय जागरुकता मतदाता प्रतियोगिता के दौरान '[मेरा वोट मेरा भविष्य – एक वोट का महत्व', रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से लोकतंत्र में प्रत्येक वोट के महत्व को समझाने के उद्देश्य के साथ आरंभ की गई । इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रकाशन 'लीप ऑफ फेथ : जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन्स' भारत की

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने और एक अन्य प्रकाशन 'प्लेजिंग टू वोट-ए डिकेडल जर्नी ऑफ दी नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया' का भी विमोचन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि तथा गणमान्य व्यक्तियों के संबोधन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भाषण, संदेश, कर्टेन रेजर्स, प्रेस नोट और विगत वर्षों में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेतागण शामिल हैं । हॉल ही के 2021 में आयोजित निर्वाचन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों/सरकारी विभागों/मीडिया एंजेसी को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए । समारोह के दौरान एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई थी ।

2. निर्वाचक साक्षरता क्लब –

(क) 25 जनवरी, 2018 को 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम मतदाता साक्षरता की ओर – सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता शिक्षा (स्वीप) कार्यक्रम के अधीन 'भारत में शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों और समुदायों के माध्यम से मतदाता साक्षरता को मुख्यधारा में लाना' कदम उठाया था । देशभर में स्कूलों और महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाना, समुदाय (निर्वाचन पाठशाला) और संगठन मतदाता जागरुकता मंच निर्वाचक भागीदारी की संस्कृति को सुदृढ़ करने और विकसित करने के अनुभव पर लोकतंत्र में किसी की भूमिका के मूल्य पर शिक्षित करना इन क्लबों का मुख्य कार्य था । देशभर में अब तक 9,07,938 ईसीएल स्थापित किए जा चुके हैं । ऑनलाइन संचार माध्यम के उपयोग के माध्यम से कोविड अवधि के दौरान निर्वाचन साक्षरता क्लबों को पुनर्जीवित करना भी आयोग का एक प्रमुख केंद्र है। इसी के संदर्भ में, हाल ही में राज्य मुख्य निर्वाचन कार्यालयों के साथ ईएलसी पर ऑन लाइन क्रियाकलापों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत साझा किए गए हैं ।

(ख) मतदाता जागरुकता मंच (वीएएफ) – शैक्षणिक संस्थानों और समुदाय निर्वाचन पाठशाला, मतदाता जागरुकता मंच ऐसे औपचारिक मंच हैं जो निर्वाचन प्रक्रिया, रजिस्ट्रीकरण और मतदान कब, कहां और कैसे वास्तविक कार्यक्रमों के माध्यम से करें । मतदाता जागरुकता मंचों के माध्यम से सरकारी विभागों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाता जागरुकता का प्रसार और मतदाता शिक्षा को सुकर बनाना है ।

वीएएफ की गतिविधियों का समन्वय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का निर्वाचन वीएएफ के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मौजूदा क्लब जैसे मनोरंजन क्लब, स्पोर्ट्स क्लब आदि या किसी संगठन में समान निकाय भी वीएएफ की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य कर सकते हैं।

3. प्रकाशन

क) **विश्वास की छलांग : 'विश्वास की छलांग : भारतीय निर्वाचन की यात्रा'** भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का एक प्रस्ताव है । यह औपनिवेशिक काल से 21वीं शताब्दी तक भारत के एक संस्था के रुप में निर्वाचन की कहानी बताती है । यह शीर्षक भारतमें निर्वाचन की यात्रा के साथ अच्छी तरहसे अनुनादित होता है । यह एक भारत की छलांग थी जिसे भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने में लिया था, जब उसकी आबादी का केवल पांचवां भाग साक्षर (1951) था, वर्तमान परिदृश्य (2020-21) में निर्वाचन सुरक्षित औरसफलतापूर्वक कोविड महामारी के बीच आयोजित किए थे ।

निर्वाचन हम सब का है । यह किताब पाठकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुलभ सहभागी, उत्सवपूर्ण, समावेशी और सुलभ निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए संभावना हासिल करने में मदद करेगी ।

ख) **भारत में "राष्ट्रीय मतदाता दिवस की एक दशकीय यात्रा" : मतदान करने की प्रतिज्ञा** – भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की एक दशकीय यात्रा, अपने प्रारंभ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोहों की एक विशद तस्वीर प्रस्तुत करता है । इसमें मुख्य अतिथि के रुप में इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के पते, मुख्य विर्वाचन आयुक्तों के भाषण संदेशपर्दा उठाने, प्रेस नोट के साथ-साथ वर्षों से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शामिल हैं । राष्ट्रीय मतदाता दिवस की यात्रा देश में चुनावी लोकतंत्र के एक अभिन्न अंग के रुप में एक निरंतरता है । अपने चित्रों केसाथ प्रकाशननिश्चतरुप से उन सभी कर्मियों को प्रेरित करेगा जो चुनावी लोकतंत्र के फ्रंटलाइन वारियर्स के रूप में थे ।

ग) बाधाओं को पार करना :- बाधाओं को पार करना: सुगम्यता पहल, 2021 पाठक को 'सुलभ निर्वाचनों' की यात्रा के माध्यम से ले जाती है जिससे डाकमतपत्रों के माध्यम से कोविड सुरक्षित और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करना हो । 'मार्गदर्शक सिद्धांत' और 'विधायी पहल' के अध्याय, साथ ही 'लोक सभा निर्वाचन 2019: अच्छे व्यवहार' पहुंच की शैली, के भीतर कई परतों को उजागर करते हैं, जिसे भारत के निर्वाचन आयोग और पणधारियों द्वारा एक सहभागी और समावेशी चुनाव के लिए खोजा गया था । यह पुस्तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा की गई सुगम्यता पहल को भी प्रदर्शित करती है । इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण भारत में दिव्यांग क्षेत्र और सिविल सेवा संगठनों (सीएसओ)/गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्वाचन को और अधिक सुलभ बनाने के सुझाव और सिफारिशें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, अंतिम अध्याय 'आगे का रास्ता' भविष्य के लिए सुलभ निर्वाचन की रणनिति तैयार करता है ।

घ) अमर चित्रकथा : आम जनता के बीच मतदान के महत्व को लोकप्रिय बनाते हुए, भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से **अमर चित्रकथा** द्वारा एक आकर्षक कथा, ग्राफिक सारांश पृष्ट और प्रश्नोत्तरी और पहेली के साथ एक शिक्षणोरंजन कामिक बुकलेट विकसित की जा रही है ।

कॉमिक बुक में सभी आयु समूहों के पाठकों को शामिल करने और रूचि रखने के लिए कहानी प्रारुप में प्रदान की गई जानकारी शामिल है ।

ङ) **चुनाव का कहानियां :** मतदाताओं के वास्तविक जीवन की कहानियों से विकसित 12 सचित्र कहानियों का एक सेट ईएलसी और अन्य संस्थाओं में प्रकाशित और वितरित किया जाना है । इन्हें ट्वीटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है । जिसे कहानी के किताब के प्रारुप में अनुकूलित किया गया है ।

च) **एनएलयू रिपोर्ट :** भारत में 'निर्वाचन साक्षरता परियोजना' पर एनएलयू-आईआईआईडीईएम की एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना : पश्चिमी बंगाल., छत्तीसगढ़ और मेघालय के तीन राज्यों में निर्वाचन साक्षरता परियोजना कीनीति, कार्यान्वयन और प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कार्यान्वयन, आकलन और प्रभाव का विश्लेषण आयोजित किया गया था । परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया है और इसके निष्कर्षों के आधार पर, आयोग ईएलसी कार्यक्रम को और विस्तारित करने के लिए रणनीतिक हस्ताक्षेप तैयार करेगा ।

छ) **मतपत्रों में विश्वास :** मतपत्रों में विश्वास एक किताब है जिसमें भारतीय निर्वाचनों की 101 वास्तविक मानव कहानियां हैं जो भारतीय निर्वाचनों के 'गुमनाम, बेनाम और अकीर्तित नायकों के प्रयासों'का दस्तावेजीकरण करती है । पहला खंड वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था, इसके बाददूसरा खंड एनबीडी, 2020 समारोह के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभ किया गया था ।

च) **काफी टेबल बुक "अनफोल्डिंग इंडियन इलेक्शन जर्नी : आफ द लिविंग डमोक्रेसी" :** यह किताब मुख्य रुप से लेंस के माध्यम से कैप्चर की गई तस्वीरों का संग्रह है । इसमें चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं जैसे मतदाता सूची में नामों के रजिस्ट्रीकरण से लेकर मतदान तक, निर्वाचन की योजना बनाने से लेकर निर्वाचन की अधिसूचना तक, कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर मतदाता शिक्षा और जागरुकता तक, निर्वाचन सामग्री और कर्मियों की आवाजाही से लेकर मतदान स्थल तक, नामांकन से लेकर परिणामों की घोषणा तक सभी स्टेशनों तक, को शामिल किया गया है । पहला खंड 2017 में प्रारंभ किया गया था । काफी टेबल बुक का दूसरा संस्करण जनवरी, 2022 के महीने में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दौरान प्रारंभ किया गया था ।

झ) **वायस नेटवर्क, वायस इंटरनेशनल एंड माई वोट मैटर्स :** नेटवर्क की समय दृष्टि और भावना के अनुरुप, पत्रिकाएं चुनावी साक्षरता, मतदाता सूचना, संचार और शिक्षा सेसंबंधित सामग्री पर अमूल्य खजाने के रुप में कार्य करती है, सदस्य सहयोगी इएमबी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विशेष पहल पर गहन लेख, निबंध और अकादमिक कार्य प्रस्तुत करते हैं ।

वॉयस इंटरनेशनल ने विभिन्न विषयों को कवर किया है जैसे-युवा और भविष्य के मतदाताणों को सशक्त बनाना, लिंग भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता शिक्षा, विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष पहल, विदेशी मतदाताओं और सेवा मतदातों को सक्षम करना और मतदाता शिक्षा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उपयोग करा । इसके अतिरिक्त,

पत्रिकाओं ने दुनिया भर में चुनावी घटनाओं और घटनाओं की एक श्रृंखला को कवर किया और चुनावी शर्तों की प्रश्नोत्तर और शब्दावली के रुप में आकर्षक सामग्री को शामिल किया ।

दुनिया भर से चुनावी साक्षरत, शिक्षा, सूचना और संचार पर संसाधनों के एक महत्वपूर्ण भंडार के रुप में काम करते हुए, वाइसनेट पोर्टल में वर्तमान में नई विशेषताएं हैं (जैसै वॉयस बॉक्स) और इसे और अधिक जीवंत और गतिशील बनाया गया है । स्वीप डिवीजन द्वारा पोर्टल का रखरखाव और आद्यतर नियमित रुप से किया जाचा है ।

4. 360 डिग्री मीडिया संचार

क) **हेलो वोटर्स (वेब रेडियो) :** भारत के माननीय राष्ट्रपति ने अपने डिजिटल आउटरीच हस्तक्षेपों के दायरे का विस्तार करने के लिए आधिकारिक तौर पर एमवीडी 2021 पर हैलो वोर्टस (वेब रेडियो) प्रारंभ किया । डिजिटल मीडिया पर अधिक निर्भरता की ओर तेजी से बदलाव का साक्षी, जो कोविड महामारी की शुरुआत के बाद और तेज हो गया, वेब रेडियो भी बहुत प्रसिद्ध हो गया है । स्वीप कार्यक्रम के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के मीडिया खपत पैटर्न में इस बदलाव पर ध्यान दिया और इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया ।

वेब रेडियो हैलो वोटर्स भारत के चुनाव आयोग की एक पहल है, जो एक पहल है, जो एक 24x7 ऑनलाइन वेब रेडियो सेवा है जो भारत के चुनाव आयोग वेबसाइट पर मतदाता जागरुकता कार्यक्रमों को स्ट्रीम करेगी । रेडियो हेलो वोटर्स की शिक्षण कार्यक्रम शैली की परिकल्पना लोकप्रिय एफएमरेडियो प्रारुप से मेल खाने के लिए की गई है और इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के गाने, नाटक, चर्चा, पॉडकास्ट, स्पॉट, पैरोडी आदि शामिल होंगे ।

ख) **सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से मतदाता जागरुकता अभियान** : भारत निर्वाचन आयोग ने जून से नवंबर, 2017 तक मत और मतदान, करे लोकतंत्र का निर्माण नामक श्रृंखला के माध्यम से एनआईओएम सामुदायिक रेडियो कालाभ उठाकर अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की ।निर्वाचनों पर यह श्रृंखला ईसीआई और एनआईओएस-सीआर की एक संयुक्त पहल थी जहां निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रिया विभिन्न पहुलुओं का पता लगाया जाएगा । राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है और दुनिया में सबसे बढ़ा मुक्त विद्यालय शिक्षा संगठन है ।

प्रत्येक एक घंटे के एपिसोड को मासिक रुप से प्रसारित किया गया था और चुनाव के महत्व पर जागरुकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए गए विभिन्न क्रिएटिव के छोटे स्निपेट के साथ विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) के साथ साक्षात्कार/ पैनल चर्चा शामिल की गई थी, जैसे कि गाने, जिंगल ऑडियो/वीडियो नाटक, बयान आइकनों, विज्ञापन आदि द्वारा । इसने रेडियो कार्यक्रम को और भी अधिक जानकारीपूर्ण और रौचक बना दिया । इसके अलावा, प्रत्येक कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्न रखा गया था और पहली 25 सह प्रविष्टियों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था । इस श्रृंखला को फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो

एसोसिएशन (एफसीआरएस) के माध्यम से पूरे भारत में 167 सामुदायिक रेडियो से प्रसारित किया गया था ।

ग) **राष्ट्रीय मीडिया अभियान** : पहली बार, लोकसभा 2019 के लिएएक व्यापक राष्ट्रीय मीडिया अभियान शुरु किया गया था । मौटे तौर पर सभी प्रमुख विषयों को कवर कियागया था और चर्चा और विचार-विमर्श के बाद उत्सव या महा त्योहार का विषय चुना गया था । केएपी सर्वेक्षण सहित पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर, 12 पहचाने गए विषयों के आसपास संदेश बनाए गए थे । दिव्यांग व्यक्तियों को लक्षित करने वाले एक अलग अभियान को भी सभी दिव्यांगो को कवर करने के लिए सुलभ प्रारुप में प्रसारित करने की योजना बनाई गई थी ।

राष्ट्रीय अभियान के उद्देश्य सीईओ और डीईओ द्वारा अभियान को पूरक बनाना है । कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय अभियान सामग्री का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया और प्रसार किया, जबकि कई अन्य ने अपनी स्वयं की अभियान सामग्री को दर्शकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया ।

घ) भारतीय रेलवे नेटवर्क : एक अतिरिक्त मील की दूरी पर, भारतीय रेलवे और भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 में # गो वोट संदेश के साथ विनाइल रैप ट्रेनों में सहयोग किया । इस प्रकार, उत्तर-दक्षिण केरल, एक्प्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, पूर्व-पश्चिम गुवाहाटी मतदाता जागरुकता के संदेश को दूर-दूर तक फैलाने के लिए झेलम एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस और दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जैसी कई क्षेत्रीय ट्रेनों के साथ भारत की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा करने वाली एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस का चयन किया गया था ।

ब्यूटीफुल विनाइल रैप ने भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक (आईकॉन), अर्थात् आमिर खान, महेंद्र सिंह धोनी और मैरी कॉम को, राज्य प्रतीक के साथ-साथ आम जनता को प्रदर्शित किया है, जो सभी को मतदान के लिए प्रेरित करते थे । प्रत्येक रेल को, उन स्टेशनों पर, जिन्हें उसने पार किया था, संबंधित सीईओ/डीईओ द्वारा संदेश के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया गया ।

(ङ) **<u>रेडियो जॉकियों (आरजेएस) के लिए कार्यशाला :</u>** भारत निर्वाचन आयोग ने जनवरी, 2019 के मास में आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और विभिन्न प्राइवेट एफएम चैनलों सहित प्रमुख एफएम चैनलों के रेडियो जॉकियों (आरजेएस) के लिए कार्यशाला का आयोजन किया था । प्रमुख एफएम चैनलों, अर्थात् बिग एफएम, रेड एफएम, फीवर 104 एफएम, रेडियो नशा, इश्क एफएम और रेडियो सिटी से कुल 19 रेडियो जॉकियों ने 2 घंटे के पारस्परिक क्रिया सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने मतदाता शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यवाहियों में भाग लिया ।

कार्यशाला, प्रमुख पणधारियों के साथ आयोग द्वारा किए गए कार्य का एक भाग है । एफएम रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो मतदाताओं को निर्वाचन मशीनरी से जोड़ता है । कार्यशाला रेडियो जॉकियों को निर्वाचन प्रक्रिया से परिचित करवाने के लिए आयोजित की गई थी, जिससे वे अपने श्रोताओं को सूचना के सही और व्यापक प्रसार में सहायता कर सकें ।

(क) **<u>रेड एफएम :</u>** लोक सभा निर्वाचन, 2019 के दौरान 'अब वतन दबाएगा बटन' 93.5 रेड एफएम नाम राष्ट्रव्यापी मतदाता जागरूकता और प्रेरणा अभियान आरंभ किया गया था । कई रेड एफएम रेडियो जॉकियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सीईओ कार्यालयों द्वारा उनके संबंधित शहरों में युवा राजदूत के रूप में पहचाना गया था और उन्हें प्रतिदिन 14,21,000 श्रोताओं के लिए रजिस्ट्रीकरण, शंकाओं और जिज्ञाशाओं के बारे में सूचना सांझा करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था ! रेड एफएम ने मतदाता जागरूकता को प्रोत्साहन देने के लिए, रोड़ शो, रजिस्ट्रीकरण और जागरूकता अभियान भी आयोजित किए और उन लोगों को, जो मतदान करने के लिए अपने पैतृक स्थान की यात्रा कर रहे थे, मुफ्त यात्रा वाऊचर प्रदान करने के लिए रेडबस की सहायता ली ।

(ख) **<u>सोशल मीडिया :</u>** भारत निर्वाचन आयोग ने 2016 में विशेष रूप से मतदाता शिक्षा के लिए सोशल मीडिया में प्रवेश किया । प्रयोग को धीरे-धीरे बढ़ाया गया और जनवरी, 2018 में, भारत निर्वाचन आयोग ने औपचारिक रूप से अपना आधिकारिक फेसबुक पेज आरंभ किया । मीडिया को अद्यतन देने के लिए प्रवक्ता का समर्पित ट्विटर हैंडल पहले से विद्यमान था, किंतु अन्यथा किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई अन्य उपस्थिति नहीं थी । लोक सभा निर्वाचन से पहले, आयोग ने ट्विटर हैंडल और इंस्ट्राग्राम पेज विशेष रूप से मतदाता शिक्षा और आउटरीच के लिए आरंभ किया । लोक सभा, 2019 के निर्वाचन में हैशटैग#गोटिंक्ड को मतदाताओं द्वारा लोक सभा, 2019 में मतदान करने के पश्चात् अपनी स्याही लगी उंगलियों से अपनी सेल्फी सांझा करने के साथ लोकप्रिय किया गया था ।

5. अन्य अनूठी पहल

(क) **ई-ईपीआईसी :--** भारत के माननीय राष्ट्रपति ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) - 2021 ई-ईपीआईसी का आरंभ किया । यह आयोग द्वारा मतदाताओं को सुगमता प्रदान करने के लिए एक कदम है । ई-ईपीआईसी मोबाइल पर या स्वयं प्रिंट करने योग्य फार्म में डाउनलोड किया जा सकता है । मतदाता इस प्रकार इसे अपने मोबाइल में रख सकता है, डिजिलॉकर में अपलोड कर सकता है या इसे प्रिंट कर सकता है और इसे स्वयं लैमिनेट कर सकता है । यह आरंभ में सामान्य मतदाता पहचान पर्ची के अतिरिक्त होगा, और ई-ईपीआईसी में दो क्यूआर कोड : एक फोटो और जनसांख्यिकीय के स्थिर डाटा के साथ और दूसरा/भाग संख्या क्रम संख्या, एसी के नाम और पता आदि के ब्यौरे के साथ होंगे ।

(ख) **निर्वाचन प्रक्रिया में पीडब्ल्यू डीएस का समावेश :--** निर्वाचन प्रक्रिया में नि:शक्त व्यक्तियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इनमें रैंप, स्वयंसेवकों, व्हील चेयर विशेष व्यवस्था आदि के माध्यम से मतदान केंद्र पर विकलांगों की सुविधा सम्मिलित है ।

भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 25 जनवरी, 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया । इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए थीम **निर्वाचन को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना** है । निर्वाचन के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी की सुविधा के लिए और

सभी श्रेणी के मतदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया को चिंतामुक्त और एक यादगार अनुभव बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना करता है ।

निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने के लिए देशभर में - जिलों और राज्यों में रोधों, चुनौतियों को और उन्हें दूर करने के तरीकों को पहचान करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए परामर्श की श्रृंखला आयोजित की गई थी । सुगम निर्वाचन पर चौथी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक हाल में 21 सितंबर, 2021 को सुगम निर्वाचनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 2021 में आयोजित किया गया था, जो कि एसोशिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब), निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई थी । भारत सरकार ने 26 नवंबर, 2021 को महिलाओं, नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यू डी) और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की निर्वाचन भागीदारी बढ़ाने के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया । सर्वोत्तम प्रथाओं और नई पहलों को सांझा करना । वेबिनार में 24 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों, 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 20 राजनयिकों ने भाग लिया ।

(ग) **सेवा मतदाताओं को लक्ष्यित करना :** सेवा मतदाताओं, मुख्य रूप से रक्षा और अर्द्धसैनिक कार्मिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2015 में हितधारकों के साथ परामर्श और बैठकें आयोजित की गई है । 2017 में सेवा मतदाताओं के लिए एक विस्तृत स्वीप रणनीति विकसित की गई थी और अंतर्वेशन शुरू किया गया था । सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों की विभिन्न विंगों को उनके कार्य योजना के भाग की निगरानी के लिए समन्वित किया गया है । सीईओएस ने लक्ष्यित दर्शकों तक पहुंचने के लिए संबंधित छावनी क्षेत्रों में योजना आरंभ की है । निवार्चन को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं की सक्रीय भागीदारी की सुविधा के लिए और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया को चिंता मुक्त और एक यादगार अनुभव बनाने के लिए इ सी आई की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना करता है ।

एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से निर्वचना रजिस्ट्रीकरण और मतदान को बढ़ावा देने के लिए, एनएफडीसी के माध्यम से एक सूचनात्मक और प्रेरक फिल्म का निर्माण किया गया था फिल्म में जीवंत एक्शन से भरपूर दृश्य सम्मिलित है जिन्हें वास्तविक स्थानों पर शूट किया गया था ताकि यह सशस्त्र कर्मियों के जीवन के साथ प्रतिध्विन्नत हो । (फिल्म के अंत में उत्साहित संगीत के साथ प्रेरणादायक गीत है जो बहुत लोकप्रिय हुआ है फिल्म के साथ-साथ तटरक्षक बल, सेना, नौसेना, वायुसेना, सीआरपीएफ आदि जैसे विभिन्न सशस्त्र बलों के लिए एक सूचनात्मक विवरणिका और समर्पित पोस्टर तैयार किए गए और निपटान के लिए बड़े पैमाने पर उनके केन्द्रो पर भेजे गए।

(घ) <u>गेमिंग और मतदाता शिक्षा</u>—यद्धपि लोकसभा 2014 में इसीआई ने बोर्ड गेम और कंप्यूटर गेम के विकास के माध्यम से पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, इस दिशा में दूसरी पहल तब की गई जब निर्वाचन पाठशाला (ईएलसी समुदाय) के लिए ग्रामीण समुदाय को सम्मिलित

करने के लिए कुछ फ्लोर गेम तैयार करने का निर्णय लिया गया है। 6 फ्लोर गेम को सेंट लेडी इरविन कॉलेज, विकास संचार और विस्तार विभाग के साथ विकसित किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण शिक्षा/संदेश सम्मिलित थे।

(ङ) <u>मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम (वीवीआईपी)</u>:- भारत निर्वाचन आयोग ने आम निर्वाचन 2019 में नागरिकों के लिए उनके नाम नए रजिस्ट्रीकरण, मतदाता विवरण में परिवर्तन और मतदाता पहचान पत्र पोस्ट में सुधार के सत्यापन के लिए सत्यापन और सूचना कार्यक्रम (वीवीआईपी) आरंभ किया । निर्वाचन आयोग ने इस वीवीआईपी कार्यक्रम के लिए विभिन्न चैनलों को सम्मिलित किया और सभी जिलों में संपर्क केन्द्र भी स्थापित किए । भारत जो कि उपयोक्ता की सहायता के लिए नवीनतम सूचना और दूरसंचार अवसंरचना से लैस थे।

(च) **<u>स्वीप किट</u>**–इनमें संसाधन सामग्री जैसे कुंजी पुस्तक, प्रेरक कहानियों वाली पुस्तिकाएं राज्य और जिले में इएलसीएस में प्रसार के प्रयोजन के लिए स्वीप नोडल अधिकारियों को वितरित की जाती हैं। इन किटों में निर्वाचन और जागरुकता के बारे में दिलचस्प खेल भी सम्मिलित होंगे ।

(छ) **<u>इंटरएक्टिव स्कूल इंगेजमेंट प्रोग्राम</u>**–इंटरएक्टिव स्कूल प्रोग्राम (आईएसई), ईआईसी प्रोजेक्ट का प्री-कर्सर था। आईएसई की संकल्पना स्कूलों में पढ़ने वाले भविष्य के मतदाताओं को लक्ष्यित करने के लिए की गई थी ताकि उन्हें समान्य रूप से निर्वाचन प्रक्रिया और विशेष रूप से रजिस्ट्रीकरण और मतदान प्रक्रिया के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2017 के उपलक्ष्य में किया गया था, जिसका विषय "युवा और भविष्य के मतदाताओं" का सशक्तिकरण करने के लिए था और उसी वर्ष के लिए आयोग केंद्रित था। आईएसई भविष्य के मतदाताओं को निर्वाचन से जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए था।

<u>(ज) क्विज़अप एप पर लॉन्च किए गए 'भारतीय निर्वाचन' विषय–</u> युवा और भविष्य के मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए ईसीआई ने बेहद लोकप्रिय गेमिंग क्विज़अप एप पर एक नया विषय भारतीय निर्वाचन लॉन्च किया । विषय एंड्राईड और आईओएस दोनों उपयोग कर्ताओं के लिए एप पर उपलब्ध है।

<u>मिलेनियम वोटर्स इनिशिएटिव:</u> सारांश संशोधन के दौरान w.r.t.1.01.2018 ईसीआई ने 18-19 वर्ष की आयु के नए पात्र मतदाताओं को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया । एक अनूठी अवधारणा विकसित की गई- मिलेनियम वोटर 1 जनवरी, 2000 को जन्म लेने वाले और लोकप्रिय कहे जाने वाले मिलेनियम बेबी नामावली के 1.1.2018 नामावली में चल रहे सारांश संशोधन में निर्वाचक बनने के योग्य हो जाते हैं । इन मतदाताओं को मिलेनियम मतदाता कहा गया था, हर दिन लगभग 74K बच्चे पैदा होते हैं। सहस्रब्दी व्यक्तियों को प्रोतसाहित करते हुए अभियान का उद्देश्य अन्य लोगों को भी आकर्षित करना है जो विशेष रूप से 18-19 वर्ष आयु वर्ग में मतदाता बनने के योग्य हैं, जहां औसतन नामांकन पात्र आबादी के 40% से कम

रहता है। पंचायत कार्यालय अभिलेखों, अस्पतालों और रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), डीईओ/सीईओ कार्यालय के माध्यम से उनकी पहचान करते हुए मिलेनियम व्यक्तियों को भी अपने वेबसाईट, सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से आमंत्रित किया। पहले चरण की पहचान के साथ शुरुआत करते हुए, बाद के अभियान आउटरीच में सूक्ष्म जुड़ाव की पहल सम्मिलित थी-बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर का दौरा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर इपीआईसी और मिलेनियम वोटर बैज जारी करना । संबंधित डीईओ द्वारा हस्ताक्षरित व्यक्तिगत प्रमाणपत्र और सोशल मिडिया के माध्यम से भागीदारी के साथ उन्हें सम्मानित करना ।

उपाबंध-ग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नरेश कुमार
अवर सचिव

ई-मेल - naresh@eci.gov.in
टेली. नं. 011-23052215

सं. 491/ईसीआई/सलईटी/एफयूएनसी/स्वीप-1/एसएसआर/2021 तारीख 2 सितंबर, 2021

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय : अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी, 2022 के संदर्भ में फोटो निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए स्वीप - के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

मुझे अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी, 2022 के संदर्भ में आने वाले निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का संदर्भ लेने और यह संसूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे निम्नलिखित के आधार पर कार्य योजना तैयार करके निर्वाचन नामावलियों में पात्र नागरिकों के सर्वव्यापी अभ्यावेशन और उनमें की प्रविष्टियों के अननुलिपिकरण के लिए व्यापक अभियान आरंभ करें :

I. समग्र उद्देश्य :

क) जनगणना के अनुसार 18+ जनसंख्या से मैच करने के लिए निर्वाचक नामावलियों पर ईपी अनुपात ।
ख) जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात से मैच करने के लिए नामावलियों पर लिंग अनुपात ।
ग) नए पात्र 18-19 वर्ष की आयु के समूह में अभ्यावेशन की प्रतिशतता में वृद्धि करना ।
घ) निर्वाचक नामावली में सेवा कार्मिकों के अभ्यावेशन में वृद्धि करना ।
ङ) नामावली में विदेशी भारतीय निर्वाचकों के अभ्यावेशन में वृद्धि करना ।
च) प्रत्येक राज्य के 18+ दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के जनगणना के आंकड़े से मैच

करने के लिए निर्वाचक नामावली में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का रजिस्ट्रीकरण ।

छ) सीमांत वर्ग के समूहों और समुदायों से लोगों के अभ्यावेशन में दृश्य सुधार (समावेशन) ।

ज) निर्वाचक नामावलियों का शुद्धिकरण ।

II. रणनीति और कार्यान्वयन

अ. सूक्ष्म स्तर पर अंतर और लक्ष्यित व्यवधान

क) अभ्यावेशन में अंतर का पता लगाने के लिए एसी और पीएस स्तर पर विश्लेषण ।

ख) बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना और जागरुकता सामग्री का वितरण करना ।

ग) एसी/पीएस स्तर पर न्यूनतम प्रतिनिधित्व वाले उपरोक्त 1(छ) के रूप में समूहों, समुदायों की पहचान ।

घ) संगीत, नुक्कड नाटकों आदि के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पात्र मतदाताओं के विशेष अभ्यावेशन शिविर ।

ङ) सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, वाट्स अप आदि) के माध्यम से एसएसआर सर्जकों का व्यापक परिचालन ।

- एसएसआर शिविरों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में वीडियो संबद्ध एसएसआर का प्रदर्शन ।
- अभ्यावेशन, ईवीएम और वीवीपीएटी, मतदान आदि पर पोस्टरों और सर्जकों का प्रदर्शन ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से विनियोजन करना ।
- सोशल मीडिया, एफएम रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, वेब रेडियो, डीडीके, लोकल केबल टीवी और आकाशवाणी का व्यापक प्रयोग ।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों, प्रिंट मीडिया और अन्य प्लेटफार्म पर विज्ञापन ।
- विद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर, समुदाय स्तर पर, कारपोरेट तथा गैर सरकारी संगठन के स्तरों पर निर्वाचक साक्षरता क्लबों का उपयोग ।
- मतदाता जागरुकता मंचों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ।
- नियमित रूप से प्रेस बैठकों का आयोजन ।
- www.voterportal.eci.gov.in और www.nvsp.in के साथ आवेदन आनलाइन फाइल करने के लिए मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप को लोकप्रिय बनाना ।

आ. युवाओं का अभ्यावेशन (जिनमें नए युवा भी पात्र हैं)

क) कैम्पस एम्बेस्डर प्रणाली को मजबूत करना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से किसी पदाधिकारी द्वारा एकत्रित सूचना के आदान-प्रदान के

लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराना । मतदाता हैल्पलाइन मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करने के लिए कैम्पस एम्बेस्डर ।

ख) विद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर, समुदाय स्तर पर, कारपोरेट तथा गैर सरकारी संगठन के स्तरों पर निर्वाचक साक्षरता क्लबों का उपयोग ।

ग) अभ्यावेशन अभियान के कैम्पसों से नोडल अधिकारियों की अधिक भागीदारी ।

घ) इस आयु के समूह में गैर छात्र युवाओं के अभ्यावेशन के लिए विशेष अभियान ।

ङ) व्यापक रूप से युवाओं तक पहुंचने के लिए एनएसएस और एनवाईकेएस के साथ समन्वय करना ।

च) संक्षिप्त पुनरीक्षण से पहले, अगस्त/सितंबर में "युवा मतदाता उत्सव" को कैलेन्डर का भाग बनाना ।

छ) युवा तथा भावी मतदाताओं को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रेरित करने और उनके द्वारा 100% कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और जिला के अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तियों को लगाना ।

ज) व्यापक भागीदारी, पणधारित्व और ऐसे प्रसिद्ध युवा संगठनों के साथ सहयोग करना, जिनका विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से आनलाइन डिजीटल निर्वाचन साक्षरता को आयोजित करने के लिए उत्तम डिजीटल उपस्थिति सहित शैक्षणिक संस्थाओं में दृढ़ समकक्ष व्यक्ति समूह का प्रभाव है ।

झ) ई2ई प्रक्रिया (निर्वाचनों में अभ्यावेशन) पर सर्जक मैसेज भेजने के लिए गत्यात्मक और उत्कृष्ट संगठनों, सृजनात्मक समुदायों की पहचान ।

ञ) ईएलसी बूट शिविर, अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ बीच बातचीत करना, जैसे विभिन्न आनलाइन कार्यक्रम, सर्जकों क्रिएटिवजों और विभिन्न आनलाइन प्रतियोगिताएं आनलाइन मोड के माध्यम से युवा और भावी मतदाताओं को विनियोजित करने के लिए युवा संगठनों के सहयोग से आयोजित की जा सकेंगी ।

ट) सभी संचयी निर्वाचन अभियान और लक्ष्यित मैसेज भेजने के लिए दृश्यता को बढाने, उसका विस्तार करने और उसे व्यापक बनाने के लिए जिला स्तर पर संचालित सभी प्रतियोगिताओं के समापन समारोह आयोजित करना ।

ठ) राज्य/जिला स्तरीय आनलाइन प्रश्नोतरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी ।

इ. लिंग अंतर

क) महिलाओं को अभ्यावेशित करने के लिए मीडिया और क्षेत्र विरचनाओं को सहयोजित करना ।

ख) कैम्पस एम्बेस्डरों की सहायता से शैक्षणिक संस्थाओं में बालिकाओं के अभ्यावेशन के लिए संकेन्द्रित ध्यान ।

ग) कारखानों, लघु औद्योगिक स्थापनों, वाणिज्यिक स्थापनों तथा टैक्सटाइल मिलों के शहरों में श्रमिक के रूप में विनियोजित गृहणियों तथा महिलाओं के अभ्यावेशन के लिए संकेन्द्रित ध्यान ।

घ) जागरुकता का प्रसार करने के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और सहकारिताओं का प्रयोग करना ।

ङ) महिलाओं के अभ्यावेशन के लिए विशेष शिविर ।

च) महिला मतदाताओं को प्रेरित करने और उनके रजिस्ट्रीकरण के 100% कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध महिलाओं की नियुक्ति ।

छ) महिला मतदाताओं को लक्ष्य बनाने वाले विशेष विज्ञापन ।

ई. दिव्यांगजन

क) दिव्यांगजनों का डाटा बेस तैयार करना और सुविधा केंद्र में सहायता करने के लिए उनकी नि:शक्तता संबंधी बीएलओ रजिस्टर में सूचना बनाए रखना और उनके रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाना ।

ख) दिव्यांगजनों को रजिस्टर करने के लिए विशेष शिविर और अभियान आरंभ किया जाए और ऐसे शिविरों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए ।

ग) भागीदार होने के लिए दिव्यांगजनों के लिए समुदाय रेडियो नेटवर्क या पत्रिकाओं, चैनलों आदि की पहचान करना । दिव्यांगजनों तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी, दिल्ली दूरदर्शन और प्राइवेट रेडियो और केबल टीवी पर कार्यक्रमों का प्रयोग करना ।

घ) दिव्यांगजनों के लिए विश्वसनीय सीएसओएस कार्यकरण की पहचान करना और उनके माध्यम से पहुंचना ।

ङ) मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट को अनुकूल रूप से निष्क्रिय बनाना होगा ; वेब के लेवल एए का पालन करना ।

च) अंतर्वस्तु अभिगम्यता मार्गदर्शी सिद्धांत ।

छ) दिव्यांगजन मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को प्रेरित करने और उनके 100% कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और जिला नि:शक्तताग्रस्त अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तियों का विनियोजन ।

ज) दिव्यांगजनों की जागरुकता के लिए और उनके रजिस्ट्रीकरण शिविरों के लिए नि:शक्तता आयुक्त के साथ सहयोग ।

झ) प्रमुख नि:शक्तता गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग ।

ञ) विशेष नि:शक्तता उन्मुख कार्यक्रम (नेत्रहीन फुटबाल, व्हील चेयर बास्टकेटबाल, दृष्टि बाधित संगीत बैंड आदि) ।

उ. समावेशन

क) निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सीमांत वर्ग समूहों, उनके खंडों तथा उनके ब्यौरों की पहचान करना ।

ख) प्रवासी श्रमिकों, सेक्स वर्कर, थर्ड जेंडर, बेघर, यायावर आदि जैसे अभिज्ञात खंडों या समूहों के लिए शैक्षणिक सामग्री डिजाइन करना ।

ग) पहचान किए गए समूहों और खंडों तक पहुंचने के लिए विश्वसनीय सीएसओएस तथा भागीदारों की पहचान करना ।

घ) विशेष रजिस्ट्रीकरण शिविरों के साथ भागीदारों की सहायता से पहुंचना ।

ङ) जनजातीय समुदायों के लिए उनकी स्थानीय भाषा के क्षेत्र में विशेष जागरुकता सामग्री को डिजाइन करना ।

च) प्रवासी श्रमिकों, सेक्स वर्कर, थर्ड जेंडर, बेघर, यायावर आदि के लिए बीएलओ द्वारा सर्वेक्षण ।

छ) कोविड-19 से निकले हुए ऐसे व्यक्तियों, जिनका कभी अभ्यावेशन नहीं हुआ है ।

ज) जनजातीय उत्सवों के बारे में जानकारी एकत्रित करना ।

झ) इन विशेष प्रवर्ग के समूहों से समुदाय के नेताओं के साथ विनियोजन ।

ञ) सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ सहयोग ।

ऊ. सेवा निर्वाचक

1. साधारण या सेवा मतदाता के रूप में अभ्यावेशन पर जानकारी प्रसारित करने वाले रक्षा कार्मिकों के लिए विशेष जागरुकता और रजिस्ट्रीकरण शिविर ।
2. रजिस्ट्रीकरण और मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए रक्षा से नोडल अधिकारियों का रिसोर्स व्यक्तियों के रूप में प्रशिक्षण (एफएक्यू और मतपत्रों की अस्वीकृति के लिए कारण स्पष्ट करें) ।
3. रजिस्ट्रीकरण के लिए http://servicevoter.nic.in/ को लोकप्रिय बनाना ।
4. सेवा कार्मिकों की पत्नियों के लिए विशेष अभियान ।
5. सेवा कार्मिकों के रजिस्ट्रीकरण पर मैसेज भेजने के लिए रक्षा कार्मिकों के लिए स्थानीय आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन के साथ उनके विशेष प्रसारणों पर संपर्क साधना ; इन कार्यक्रमों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के भी अन्योन्यक्रिया सत्र हो सकते हैं ।
6. छावनी क्षेत्रों में विशेष शिविर ।
7. छावनी क्षेत्रों में जागरुकता पोस्टर और होर्डिंग लगाना ।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सशस्त्र बलों से नोडल अधिकारी का अनुस्थापन ।
9. रक्षा कार्मिकों की वेबसाइट पर एड प्लग इन्स ।

ए. विदेशी भारतीय

क) अनिवासी भारतीयों वाले परिवार पर फोकस और उनमें अनिवासी भारतीयों के रजिस्ट्रीकरण को बढ़ावा देना ।

ख) अनिवासी भारतीय के आनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए एनवीएसपी लिंक को लोकप्रिय बनाना ।

ग) ऐसे परिवारों से, जिनमें कोई ऐसा सदस्य है, जो अनिवासी भारतीय है, के साथ प्ररूप 6क को बीएलओ द्वारा साझा करना और एनवीएसपी पोर्टल के साथ उनका परिचय कराना ।

घ) बीएलओ द्वारा जागरुकता सामग्रियों का अनिवासी भारतीयों वाले परिवारों को वितरण किया जाना ।

ङ) अनिवासी भारतीय वाले परिवारों को प्ररूप 6क भरने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का वितरण ।

च) विमानपत्तनों पर व्यापक प्रचार ।

छ) विदेश मंत्रालय और अन्य दूतावासों के साथ सहयोग ।

मल्टी मीडिया अभियान

त्रुटि रहित नामावली, बहु प्रविष्टियों और मतदाता पोर्टल तथा ऐप को वापस लौटाए जाने का व्यापक रूप से प्रचार करना है । उपयुक्त मल्टी मीडिया अंतर्वस्तु को अभियान की सहायता करने के लिए और सूचना के व्यापक प्रसार के लिए तथा रजिस्ट्रीकरण अभियान की तारीखों के प्रचार के लिए सृजित किया जा सकेगा । पर्याप्त अंतर्वस्तु को प्रेरणात्मक पहलुओं के संबंध में सृजित किया जा सकेगा और व्यापक पहुंच के लिए जिलों तक उसका प्रसार किया जा सकेगा । स्वीप पोर्टल से और मतदाता शिक्षा चैनल, हैलो मतदाता कार्यक्रम से और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अपने अभिलेखागारों से भी तुरंत उपलब्ध अंतर्वस्तु का इसकी स्थानीय सुसंगता और अनुप्रयोज्यता की सम्यक् समीक्षा के पश्चात् उपयोग किया जा सकेगा ।

क) थिएटरों/ओटीटी प्लेटफार्मों में एसएसआर वीडियो का विज्ञापन/विज्ञापन मतदाता सेवा केंद्रक होना चाहिए न कि एक प्रशासनिक व्यवस्था की उदघोषणा ।

ख) स्थानीय समाचार-पत्रों/स्थानीय केबल तथा आनलाइन न्यूज चैनलों में एसएसआर सर्जकों का विज्ञापन ।

ग) अभियान सभी लक्ष्य श्रोतागणों को अपील करेगा ।

घ) आयोग द्वारा साझा किए गए अभियान सर्जकों का जन भाषा में अनुवाद किया जाएगा ।

ङ) मतदाता हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को सभी मल्टी मीडिया सर्जकों में सम्मिलित किया जाएगा ।

च) सभी सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में एसएसआर की अनुसूची पर होर्डिंग और पोस्टर लगाना ।

छ) सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्वीटर, इन्सटाग्राम, यूट्यूब, वाट्सअप आदि) के माध्यम से एसएसआर सर्जकों का व्यापक परिचालन ।

ज) एफएक्यू वीडियो को व्यापक रूप से परिचालित किया जाना ।

झ) वेब रेडियो और समुदाय रेडियो का उपयोग ।

ञ) अभियान की पहुंच में वृद्धि करने के लिए नए मीडिया यानों की खोज करना ।

टिप्पण : यह स्पष्ट किया जाए कि आधार सह संबंध अनिवार्य नहीं है । आधार की अनुलब्धता के आधार पर किसी भी मतदाता को किसी निर्वाचक सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा । इसे सभी कृत्यकारियों के लिए पुन: स्पष्ट किया जाए ।

अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तियों के विनियोजन : राज्य और जिला अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा वीडियो बायटस का सोशल मीडिया पर प्रयोग किया जाएगा । रजिस्ट्रीकरण, मतदाता सूची में नाम की जांच करना, मतदाता हेल्पलाइन ऐप की सुविधाओं जैसे विभिन्न थीमों संबंधी मैसेज ।

IV. विकासशील भागीदारी : रजिस्ट्रीकरण के संबंध में स्वीप कार्यक्रमों को अग्रनीत करने के लिए भागीदारी को निम्नलिखित के साथ सुदृढ़ किया जाए :

क) राज्य सरकार के विभाग ।

ख) सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभाग जैसे प्रेस सूचना ब्यूरो, आउटरीच तथा संचार ब्यूरो, जन प्रसारक, आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन ।

ग) रेल ।

घ) शापिंग माल ।

ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ।

च) प्राइवेट मीडिया - टीवी चैनल, एफएम चैनल, समाचार-पत्र ।

छ) शिक्षण संस्थान ।

ज) बीएसएनएल/एमटीएनएल ।

झ) कारपोरेट परिसंघ ।

ञ) परिवहन विभाग

ट) इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम जैसे पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।

ठ) यशस्वी (व्यक्ति), कलाकार आदि जैसे व्यक्ति ।

V. एसएएआर क्रियाकलाप के लिए सोशल मीडिया अभियान के लिए इनपुट : मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसएसआर क्रियाकलाप के दौरान निर्वाचकों के विनियोजन को और आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं ।

- मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एसएसआर कार्यक्रम की विभिन्न महत्वपूर्ण तारीख और सूचना के बारे में पोस्ट की पूर्व पहल करनी चाहिए ।
- परिवर्तनकारी सोशल मीडिया अभियान जैसे
    - **'सोशल मीडिया पर सेल्फी अभियान**
        - बीएलओ के साथ सेल्फी लेना ; मतदाता सुविधा केंद्र पर सेल्फी लेना'
    - **'टैग युअर फ्रेंड एलांग'** जैसे हेशटेग वाले यूजर की फोटो/लघु वीडियो वाले हैशटेग अभियान का विनियोजन भी मतदाताओं में पहली बार रजिस्ट्रीकृत करने हेतु उनके वहां जाने के लिए रुचि पैदा करेगा और पुनरीक्षण अवधि के दौरान भी रजिस्टर करने के लिए उनके मित्रों को प्रोत्साहित कर सकेगा ।
    - मतदाताओं से आनलाइन अपने प्ररूप प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए **'5-मिनट चुनौती'** या 5 मिनट से कम में मतदाता हेल्पलाइन ऐप का प्रयोग करने जैसी आनलाइन प्रतियोगिता,

  आयोजित किए जा सकेंगे ।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सोशल मीडिया पर आनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करके और स्थानीय मीडिया पत्रकारिता महाविद्यालय छात्रों को शामिल करके एसएसआर संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण सर्जक प्राप्त करने के लिए **क्राउडसोर्सिंग** का भी प्रयोग कर सकते हैं ।
- डाउनलोडिंग लिंक्स के साथ मतदाता हेल्पलाइन ऐप संबंधी जानकारी को व्यापक पहुंच और जागरुकता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किया जा सकेगा ।
- सोशल मीडिया **#गो वेरिफाई; #100पर्सेंटसाही; #मतदातासत्यापनकार्यक्रम** पर एसएसआर से संबंधित किसी पोस्ट को साझा करते समय मुख्य निर्वाचन

अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित हैशटेगों का प्रयोग कर सकेंगे ।

- एसएसआर क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के लिए और रजिस्ट्रीकरण या किसी सुधार के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए **स्वीप आइकॉन** प्रेरित करने वाले वीडियो का प्रयोग किया जाए ।

VI. मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि प्रत्येक जिले में स्वीप के लिए अनन्य रूप से अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सक्षम नोडल अधिकारी समय-समय पर आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार पदस्थ है ।

VII. उपरोक्त दिए गए निदेश के अनुसार कार्रवाई विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए अति तत्काल आधार पर आरंभ की जाए । एसएसआर 2021 के लिए मासिक रिपोर्टिंग फार्मेट इसके साथ संलग्न है, जिसे आयोग को भेजा जाए ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(नरेश कुमार)

अवर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :--

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पीएसओ ।
2. निर्वाचन आयुक्त (आर) के पीएसओ ।
3. निर्वाचन आयुक्त (एसीपी) के पीएसओ ।
4. एसजी (यूएस) के निजी सचिव ।
5. ईआर प्रभाग/ सभी क्षेत्रीय अनुभाग ।

एसएसआर 2021 के लिए मासिक रिपोर्टिंग फार्मेट

(रिपोर्ट सितंबर, 2021 से एसएसआर के समाप्त होने तक प्रत्येक मास की दस तारीख तक स्वीप प्रभाग को सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भेजी जाए)

राज्य का नाम ..... रिपोर्टिंग की तारीख .....

1.	किए गए कम अभ्यावेशन मतदान केंद्र की पहचान । यदि हां तो पहचान किए गए व्यक्तियों की संख्या	
2.	दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) निर्वाचकों की पहचान करने के लिए उठाए गए कुल कदम ।	
3.	संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए भागीदारी करने वाला कोई संगठन /अभिकरण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4.	मीडिया, जिसमें निम्नलिखित का प्रचार किया गया है : क. संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम तथा अभ्यावेशन के लिए पात्रता की तारीख (1 जनवरी) ख. प्रारूप नामावली के प्रदर्शन का अवस्थान, जिसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर इसकी उपलब्धता भी है ग. मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से सुगम आनलाइन रजिस्ट्रीकरण घ. बीएलओ के ब्यौरे/अपने बीएलओ को जानिए	(विनिर्दिष्ट करें कि क्या समाचार-पत्र, रेडियो, टीवी, एसएमएस, ई-मेल, वेबसाइट में या पोस्टरों/पैम्फलेटों आदि में दिया गया है)
5.	राज्य स्तर पर मीडिया अंत:स्थापनों की कुल संख्या क. प्रिंट (समाचार-पत्रों) में ख. टीवी में ग. रेडियो में घ. कोई अन्य मीडिया (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
6.	राज्य में संघटन/विशेष क्रियाकलापों की कुल संख्या	
7.	क्या राज्य में युवा मतदाता उत्सव मनाया गया है ? यदि हां, तो कितने संस्थान भाग ले रहे हैं ।	
8.	राज्य में शिविरों की संख्या (कृपया संख्या और तारीखें विनिर्दिष्ट करें)	संख्या तारीख
9.	शिविर के दिवस और स्थान का किस प्रकार प्रचार किया गया था ? क) प्रिंट मीडिया में ख) इलैक्ट्रानिक मीडिया ग) अंतरवैयक्तिक (घर-घर जाकर, माइक से उद्घोषणा	 हां/नहीं हां/नहीं

	करना, प्रभात फेरी आदि) घ) कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	हां/नहीं
10.	क्या किसी विशिष्ट समूह/खंड (उदाहरणार्थ सेवा मतदाता, अनिवासी भारतीय या कोई अन्य समूह) के लिए विशेष रूप से कोई शिविर आयोजित किया गया था, यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें ?	
11.	क्या किसी आनलाइन कार्यशाला/समारोह का आयोजन किया गया था (यदि हां, तो ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) ?	
12.	क) क्या राज्य स्तर पर पर्याप्त जागरुकता सामग्री सृजित की गई है ? ख) क्या भारत निर्वाचन आयोग स्वीप पोर्टल पर इसे अपलोड कर दिया गया है (यदि नहीं तो कृपया उसे सुनिश्चित करें)	
13.	अति परिवर्तनकारी क्रियाकलाप / व्यवधान (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर .....

उपाबंध '3'

2020-2022 अवधि के लिए 18-19 आयु समूह के मतदाताओं की तारीख

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र	संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020	संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021	संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	1141236	283301	207893
2	अरुणाचल प्रदेश	19004	8751	13030
3	असम	510064	420792	479133
4	बिहार	714488	940090	680559
5	छत्तीसगढ़	255842	182331	222073
6	गोवा	22292	17795	26297
7	गुजरात	901432	946298	1072950
8	हरियाणा	269180	217754	191798
9	हिमाचल प्रदेश	109501	92289	100507
10	जम्मू - कश्मीर	182182	182182	182182
11	झारखंड	220724	170264	395790
12	कर्नाटक	747924	517241	401924
13	केरल	315730	299528	255497
14	मध्य प्रदेश	1014426	881503	878026
15	महाराष्ट्र	2035391	1297035	835833
16	मणिपुर	34923	33836	59491
17	मेघालय	60050	69325	51717
18	मिजोरम	31588	41431	40871
19	नागालैंड	17129	15419	20525
20	ओडिशा	542323	410077	523774
21	पंजाब	210866	190021	278969
22	राजस्थान	828416	695016	1197416
23	सिक्किम	10844	9011	9073
24	तमिलनाडु	1191401	1309311	1053679
25	तेलंगाना	290680	109733	136496
26	त्रिपुरा	69277	67626	67568
27	उत्तराखंड	3309	77734	158008
28	उत्तर प्रदेश	1469282	741742	1989902
29	पश्चिमी बंगाल	2119620	1991943	1769492
30	अंदमान और निकोबार	5782	8591	4152
31	चंडीगढ़	6559	8477	8937
32	दमण और दीव	9409	10744	2902
33	दादरा और नागर हवेली	11657	5009	9463
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	208883	125189	115146
35	लक्षद्वीप	1374	643	1106
36	पुडुचेरी	24406	29726	26873
कुल		**15607194**	**12407758**	**13469052**

उपाबंध-4

भारत निर्वाचन आयोग

मतदाताओं की संख्या के आकड़े 2022

(अर्हता की तारीख के रुप में 01.01.2022 के संदर्भ में निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय पर)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र	मतदाताओं की कुल संख्या 2022			
		पुरुष	स्त्री	थर्ड जैन्डर	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	20134664	20597544	4071	40736279
2	अरुणाचल प्रदेश	409104	415881	0	824985
3	असम	12019469	11755871	401	23775741
4	बिहार	40234689	36256671	2740	76494100
5	छत्तीसगढ़	9756399	9757411	741	19514551
6	गोवा	562790	593968	4	1156762
7	गुजरात	25113264	23386321	1288	48500873
8	हरियाणा	10360869	8970911	403	19332183
9	हिमाचल प्रदेश	2784318	2659552	17	5443887
10	झारखंड	12655095	11862234	276	24517605
11	कर्नाटक	26508428	26045263	4716	52558407
12	केरल	13382344	14133612	281	27516237
13	मध्य प्रदेश	27863668	25828568	1352	53693588
14	महाराष्ट्र	47835098	43624645	3520	91463263
15	मणिपुर	1006151	1050542	208	2056901
16	मेघालय	1032145	1053245	2	2085392
17	मिजोरम	409942	428545	0	838487
18	नागालैंड	637830	629276	0	1267106
19	ओडिशा	16844163	16186021	3025	33033209
20	पंजाब	11294654	10089283	695	21384632
21	राजस्थान	26670892	24414895	320	51086107
22	सिक्किम	226998	219262	2	446262
23	तमिलनाडु	31031387	32203245	7746	63242378
24	तेलंगाना	15270591	15099229	1735	30371555
25	त्रिपुरा	1391839	1353988	35	2745862
26	उत्तराखंड	4315684	3921902	300	8237886
27	उत्तर प्रदेश	80739710	69835316	8853	150583879
28	पश्चिमी बंगाल	37911171	36502792	1642	74415605
29	अंदमान और निकोबार	163960	148300	11	312271
30	चंडिगढ़	335301	303821	23	639145
31	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	195534	181622	0	377156
32	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र *	4109804	3740709	339	7850852
33	लक्षद्वीप	28590	27679	0	56269
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	8148978	6761265	1032	14911275
35	पुडुचेरी	475408	535241	120	1010769
कुल योग			**460574630**	**45898**	**952481459**

* जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2019 के आकडें